न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/72/2021	08–10–2021	09–09–2022

01– रामनिवास पुत्र रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर, निवासी ग्राम हरनाथ की ढाणी, तन धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 22.02.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 344/2019

उपस्थितः–

01– श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अपीलाण्ट

01– श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 344/2019 जिसके द्वारा सम्वत 2075 में अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 0.25 है, 653 रकबा 2.27 है0 किस्म किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0 एवं आराजी खसरा न0 652 रकबा 2.80 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 0.12 है0 में सरसो की फसल काश्त किये जाने/पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर मौके से बेदखली/पैनल्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 652, 653, 646 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया गया है, तथा न ही कोई फसल आदि अपीलान्ट द्वारा वोई गयी है। पटवारी हल्का हरसौरा ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 652, 653, 646 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर वाके ग्राम धीरपुर में 0.62 है0 भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है, उपरोक्त अतिक्रमण वावत पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नही की गई है। हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट की काश्तकारी की आराजी एवं राजकीय भूमि की कोई पैमाईश नही की गयी है। जिसके बिना अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी बताना न्यायोचित नही है, उक्त आलोच्य आदेश पटवारी हल्का हरसौरा की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नही की गयी है, न ही पटवारी हल्का द्वारा पूर्व निर्णयो की कोई सत्यापित प्रतिलिपि उक्त प्रकरण में तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नही किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण अप्रास्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 22.02.2019 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 21.05.2019 उस समय हुई जब पटवारी हल्का द्वारा धमकी दी गयी कि अपीलान्ट के विरुद्व तहसीलदार बानसूर के यहॉ कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया जा चुका है। आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति नियमानुसार दिनाक 21.05.2019 को ही आवेदन प्रस्तुत कर दिनाक 24.05.2019 को सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की गयी। आलोच्य आदेश दिनाक 22.02.2019 से सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 21.05.2019 तक का समय एवं उसके पश्चात दिनाक 24.05.2019 तक का समय एव उसके पश्चात अपील पेश करने तक का समय को कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 22.02.2019 को अप्रास्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 652, 653, 646 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर राजकीय भूमियॉ है, जिन पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अवैध रूप से फसल काश्त /पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमीयो के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी नियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2019 के विरुद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 30.05.2019 को पेश की गयी है, जो करीब 3 माह बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 21.05.2019 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 652, 653, 646 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया गया है, तथा न ही कोई फसल आदि अपीलान्ट द्वारा बोई गयी है। पटवारी हल्का हरसौरा ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 652, 653, 646 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर वाके ग्राम धीरपुर में 0.62 है0 भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नही की गयी है, न ही पटवारी हल्का द्वारा पूर्व निर्णयो की कोई सत्यापित प्रतिलिपि उक्त प्रकरण में तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नही किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का हरसौरा द्वारा दिनाक 14.01.2019 अतिक्रमी के विरुद्व धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया जारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

नोटिस की तामील स्वयं रामनिवास को करायी गयी। अतिक्रमी तहत अदालत में उपस्थित हुआ, तहत अदालत द्वारा समुचित जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर देकर पुनः नोटिस जारी कर दिनाक 08.02.2019 को तलब किया गया। नियत तिथि को अतिक्रमी उपस्थित होकर शपथ–पत्र पेश किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी वाके ग्राम धीरपुर में किये गये अतिक्रमण को स्वयं ही हटा लिया गया है, अब वर्तमान उक्त भूमि पर मेरा कोई कब्जा नही रहा है, तथा उक्त भूमियो पर भविष्य में पुनः कब्जा नही करूगा। दिनाक 22.02.2019 को पटवारी हल्का के बयान लिये गये पटवारी हल्का ने अपने बयान में अंकित किया गया है, कि अतिक्रमी रामनिवास पुत्र रामकरण द्वारा आराजी खसरा न0 646, 653, 652 रकबा 3.53, 2.27, 2.80 किस्म गैर मुमकिन खालखद्वर, वारानी द्वितीय ग्राम धीरपुर पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था, जिसे पूर्व में धारा 91 के तहत कार्यवाही कर वेदखल किया गया था, उक्त अतिक्रमी द्वारा अब पुनः अतिक्रमण किया गया है, यह अतिक्रमी पश्चातवृर्ति है, और वार–वार अतिक्रमण करने का आदी है, अर्थात आदतन अतिचारी है। अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र से स्पष्ट जाहिर है, कि अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है, बयान पटवारी से भी जाहिर है, अतिक्रमी रामनिवास पुत्र रामकरण द्वारा आराजी खसरा न0 646, 653, 652 रकबा 3.53, 2.27, 2.80 किस्म गैर मुमकिन खालखद्वर, वारानी द्वितीय ग्राम धीरपुर पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था, जिसे पूर्व में धारा 91 के तहत कार्यवाही कर वेदखल किया गया था, उक्त अतिक्रमी द्वारा अब पुनः अतिक्रमण किया गया है, यह अतिक्रमी पश्चातवृर्ति है, और वार–वार अतिक्रमण करने का आदी है, प्रकरण में पृथक से मौका रिपोर्ट तलब की गयी मौका रिपोर्ट दिनाक 24.02.2021 के अनुसार वर्णित आराजीयात पर अतिक्रमी रामनिवास पुत्र रामकरण जाति गुर्जर का यथावत है, अर्थात अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया है। प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय की पालना में फर्द नीलामी व वेदखली की कार्यवाही की गयी है। पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2019 यथावतः रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/09/2022

(अखिलेश कुमार पिप्पल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)